दैनिक जागरण

नम्रता से पेश आने में कुछ भी खर्च नहीं होता

सेना प्रमुख की खरी बात

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के इस सीधे-सपाट बयान पर हंगामा खड़ा किया जाना हैरान करता है कि लोगों को गलत दिशा दिखाने वाले नेता नहीं कहे जा सकते। आखिर इसमें गलत क्या है? क्या सेना प्रमुख के बयान पर बेवजह बिफर रहे लोग उनके मुख से ऐसा कुछ सुनना चाह रहे थे कि लोगों को गलत दिशा दिखाने वाले भी नेता कहे जाने चाहिए? सेना प्रमुख तो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेंकते और हिंसा का माहौल बनाते नेताओं को आईना दिखाया और बिना किसी लाग-लपेट यह भी कहा कि हमने देखा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें हिंसा हो रही है। यदि उन्होंने हिंसा और आगजनी करती भीड़ का नेतृत्व करने वालों को सही नेतृत्व की संज्ञा देने से इन्कार कर दिया तो विपक्षी नेताओं को मिर्ची क्यों लग रही है? कहीं इसलिए तो नहीं कि वे खुद भी उन नेताओं में शामिल हैं जो हिंसा और अराजकता के लिए लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतार रहे हैं? यदि नहीं तो फिर उन नेताओं की गिनती करके बताएं जो आगजनी और पत्थरबाजी की निंदा कर रहे हों? जिन्हें यह लगता है कि सेना प्रमुख विरोध प्रदर्शन की आलोचना कर रहे हैं उन्हें उनके वक्तव्य को फिर से सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने विरोध के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा और अराजकता की आलोचना की है। ऐसा करना तो हर भारतीय का धर्म है। नागरिकता कानून के विरोध के बहाने जो अराजकता हुई उसने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए।

आखिर कोई यह सोच भी कैसे सकता है कि आंतरिक सुरक्षा पर असर डालने वाली व्यापक हिंसा पर सेना प्रमुख मौन रहें? किसी भी सैन्य अधिकारी से यह अपेक्षा क्यों की जानी चाहिए कि वह इस भय से आंतरिक सुरक्षा पर असर डालने वाली घटनाओं पर बोलने से बचे कि कुछ नेता उसके बयान की मनमानी व्याख्या करके हाय-तौबा मचा सकते हैं? बिपिन रावत से तो यह अपेक्षा बिलकुल भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले हर मसले पर बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। यह हास्यास्पद है कि जो नेता सेना प्रमुख को यह नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें संभलकर बोलना चाहिए उन्हें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वे खुद कितना संभल कर बोलते हैं? अगर कोई विपक्षी नेता यह कहता है कि नागरिकता कानून के विरोध में अराजकता नहीं फैलाई गई तो यह निरा झूठ ही नहीं, देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी है। बिपिन रावत ने इसी कोशिश को इशारे से बेनकाब किया है।

हिमाचल की उपलब्धि

सुशासन सूचकांक में हिमाचल प्रदेश का पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों में अव्वल आना बड़ी उपलब्धि है। इससे भविष्य में बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी

हिमाचल प्रदेश बेशक छोटा राज्य है, लेकिन इसकी उपलब्धियां छोटी नहीं हैं। प्रदेश कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बना है। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद हिमाचल ने बड़े राज्यों को चुनौती पेश की है। विकास की दौड़ में आगे रहने की जिद और शासन-प्रशासन के गंभीर प्रयासों ने प्रदेश को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश की सरकारों का दृष्टिकोण विकास के साथ बेहतर शासन देने के लिए प्रयासरत रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को मिले पुरस्कार इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रदेश में जनता की अपेक्षाएं पूरी करने की हरसंभव कोशिश की जा रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा देश में राज्यों के शासन का आकलन करने वाला सुशासन सूचकांक (जीजीआइ) जारी किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने पर्वतीय व पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। समग्र रैंकिंग में प्रदेश ने शीर्ष पर रहकर प्रदेशवासियों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। अलग-अलग श्रेणियों में भी प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। मानव संसाधन विकास क्षेत्र, सार्वजनिक ढांचागत क्षेत्र व न्यायिक एवं जन सुरक्षा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। अब आवश्यकता उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की है, जहां प्रदेश अपेक्षाकृत पिछड़ा है ताकि स्थिति को और भी बेहतर बनाया जा सके।

कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र, जनस्वास्थ्य क्षेत्र व सामाजिक कल्याण एवं विकास क्षेत्र में काफी कुछ किया जाना जरूरी है ताकि इस दौड़ में हम किसी से पीछे न रहें। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हुए 93 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू इस बात की पुष्टि करते हैं कि निवेशकों का विश्वास जीतने में सरकार सफल रही है। इसी तरह कृषि व सहयोगी क्षेत्र में किसानों-बागवानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। कोई भी पुरस्कार या उपलब्धि इतराने का मौका देती है, साथ ही और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। साथ ही यह मंथन के लिए प्रेरित करती है कि जहां हम चूके हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। उम्मीद है कि शासन-प्रशासन इस दिशा में प्रयासों को तेजी देंगे। आर्थिक संसाधन प्रदेश के विकास की गति में रोड़ा न बनें, इसके लिए भी आय सृजन के अवसरों की तलाश करनी होगी और उन्हें भुनाना होगा।

नागरिकता कानून को सही संदर्भ में देखने से इन्कार

डॉ. एके वर्मा

आखिर देश हित की हर बात को मुस्लिम विरोध के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्या देश हित और मुस्लिम हित में कोई अंतर्विरोध है?

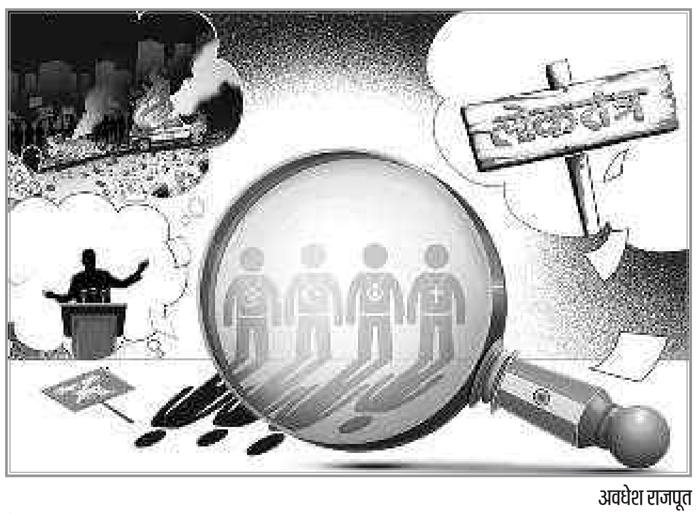

अवधेश राजपूत

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर से जुड़े मसलों को गड्ड-मड्ड करने से भारतीय लोकतंत्र असहमति, विवाद और संघर्ष के मकड़जाल में फंस गया है। देश में बेचैनी का आलम है। जहां तक एनपीआर की बात है तो यह कांग्रेस सरकार में 2010 में भी बना और 2015 में मोदी सरकार में संशोधित हुआ। एनपीआर को नागरिकता कानून, 1955 के अंतर्गत बनाया गया। मोदी-2 सरकार ने जुलाई 2019 में ही एनपीआर को अपडेट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इतना ही नहीं बंगाल और केरल सहित सभी राज्य भी इसका नोटिफिकेशन कर चुके हैं। इसके बावजूद इन राज्यों सहित अन्य राज्यों में एनपीआर का विरोध समझ से परे है और एनआरसी तो अभी दूर की कौड़ी है। अनेक दलों द्वारा नागरिकता कानून को मुस्लिम विरोधी और संविधान विरोधी ठहराने की कोशिश की जा रही है। क्या वास्तव में ऐसा है? यदि सीएए या कोई भी कानून मुस्लिम या संविधान विरोधी है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सीएए को तो दे भी दे गई है। आखिर इसके बाद भी सीएए के विरोध के लिए हिंसा और सड़क पर प्रदर्शन क्यों?

प्रत्येक कानून का एक संदर्भ और उद्देश्य होता है। सीएए का भी विशेष संदर्भ और उद्देश्य है। सांप्रदायिक आधार पर विभाजन से पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुल राज्य बने जिन्होंने इस्लाम को अपना राजधर्म घोषित किया। इससे वहां गैर-इस्लामिक लोगों मुख्यतः हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों पर अत्याचार होने लगे। इन देशों में उनकी संख्या लगातार घटती गई। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 12 से घटकर 2 प्रतिशत और बांग्लादेश में 22 से घट कर 8 प्रतिशत हो गई है। मोदी सरकार ने 2015 और 2016 में दो अधिसूचनाएं जारी कीं जिनमें कहा गया कि बिना वैध दस्तावेजों के गैर-कानूनी रूप से रह रहे ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को देश से नहीं निकाला जाएगा। वर्तमान सीएए उसी तीन वर्ष पुरानी अधिसूचना को कानूनी जामा पहनाने का प्रयास है। इसमें उक्त तीन देशों के मुस्लिमों को शरीक करने का कोई औचित्य नहीं बनता। खुफिया ब्यूरो के अनुसार इससे तत्काल 31,313 लोगों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन गृह-मंत्रालय के अनुसार इससे गैर-कानूनी रूप से रह रहे लाखों लोगों को लाभ होगा।

यदि पड़ोसी देशों के मुस्लिम समाज के कुछ लोगों जैसे अहमदिया और बहाई का पकिस्तान या बांग्लादेश में उत्पीड़न होता है और यदि वे भारत आना चाहते हैं तो नागरिकता कानून में इसके लिए प्रावधान है। इसी के तहत मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों में 2830 पाकिस्तानी, 912 अफगानी और 172 बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता दी है। राजनीतिक दलों ने भ्रम और भय यह पैदा किया कि सीएए भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लक्ष्य करता है। सीएए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए है। देखा जाए तो सीएए का विरोध दलितों और महिलाओं का विरोध भी है, क्योंकि इन तीनों देशों में उत्पीड़न का शिकार ज्यादातर दलित और महिलाएं ही हैं।

यूरोपियन यूनियन संसद की मई 2019 रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में प्रति वर्ष एक हजार लड़कियों का अपहरण कर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है। भारतीय नेताओं और दलों को अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना का दायरा कुछ बढ़ाना चाहिए और सीएए के परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए जिसमें राजनीति से इतर एक मानवीय पहलू भी है। अलबत्ता यह जरूर है कि मुस्लिमों को भड़काने के लिए एनआरसी का कनेक्शन काफी है, क्योंकि असम का अनुभव बताता है कि लाखों लोग असम एनआरसी से बाहर रह गए। असम का मसला अलग है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वहां एनआरसी बनाया गया जिसमें बांग्लादेश से आए बहुत से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक छूट गए। अब सीएए में 31 दिसंबर 2014 तक आए अवैध घुसपैठियों को छूट देकर बंगलादेशी हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जा सकती है। असम में जो हिंसक प्रदर्शन हुए उसके पीछे 'स्थानीय-जन बनाम बाहरी घुसपैठिये' विवाद रहा जिसमें मूलतः आर्थिक-राजनीतिक हितों का मुद्दा सबके मन में हावी था कि कहीं 1997 से घोषित बंगलादेशी 'डी-वोटर्स' देश की नागरिकता हासिल कर स्थानीय लोगों पर वर्चस्व न बना लें।

प्रत्येक देश को अपना राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) बनाने का अधिकार है। भारत में प्रथम एनआरसी 1951 तत्कालीन गृहमंत्री सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में बना, लेकिन उसके बाद से आज तक उसका नवीनीकरण नहीं किया गया जबकि असम में एनआरसी 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर और उसकी देखरेख में बना। यह भी ध्यान रहे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया आदि अनेक देशों में भी 'एनआरसी' व्यवस्था लागू है। आखिर भारत में 1951 के एनआरसी का नवीनीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है? इस पर कोई बहस भी नहीं। देश हित की हर बात को मुस्लिम विरोध के चश्मे से हम क्यों देखते हैं? क्या देश हित और मुस्लिम हित में कोई अंतर्विरोध है? यदि सीएए संविधान विरोधी है, अनु.14 और अनु.25 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त कर ही देगा। गैर-भाजपा दल वास्तव में सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध कर पूरे विमर्श को हिंदुत्व-विरोध और मुस्लिम-तुष्टीकरण से जोड़ रहे हैं जिससे अंततः देश में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और इन्हीं दलों को ही इसका नुकसान होगा। इधर तीन-तलाक और अनु.370 पर जिस तरह मोदी सरकार को मुस्लिम समर्थन मिला उससे गैर-भाजपाई दलों को अपना मुस्लिम जनाधार खिसकता दिख रहा है और वे मोदी एवं भाजपा विरोध का कोई सैद्धांतिक आधार खोज रहे थे जो सीएए और एनआरसी के मिश्रण में उनको मिल गया।

क्या विरोधी दल रोहिंग्या मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने के पक्षधर हैं? क्या भारत को इतना सहिष्णु होना चाहिए कि उसे सभी पड़ोसियों के उत्पीड़ितों की धर्मशाला बना दिया जाए? जनसंख्या की हमारी अपनी ही जटिल समस्या है। हमें सहिष्णुता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ-साथ अपनी सीमाएं भी समझनी होंगी और संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को राजनीतिक विवेक और कौशल के साथ ही संचालित करना होगा। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षेत्रीय एवं वैश्विक भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से संबद्ध करके ही देखना होगा, जिससे हमारी अस्मिता और लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

असमंजस के लिए कौन जिम्मेदार

जगदीप एस छोकर

यह मानना अत्यंत कठिन है कि गृहमंत्री अमित शाह के एनआरसी को लेकर दिए गए एक से अधिक बयान गलत हैं

NO NRC
NO CAA
IN BENGAL

आजकल देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर जो कुछ चल रहा है उसे देख कर अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेमलेट की जानी मानी लाइन-टू बी ऑर नॉट टू बी की याद आती है। इसका संदर्भ उस बात से है जो देश के गृहमंत्री अमित शाह पिछले कई महीनों से कह रहे थे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने की 22 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा। इन दोनों नेताओं की बातों को सुनकर असमंजस यह होता है कि एनआरसी नाम की कोई चीज है (जैसा कि गृहमंत्री ने संसद के भीतर-बाहर बार-बार कहा) या फिर हम एक सपना देख रहे थे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने देश के सबसे चर्चित मैदान में भरी सभा में कहा। उनके अनुसार एनआरसी के बारे में तो अभी कोई बात तक नहीं हुई। यह मानना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है कि गृहमंत्री के एनआरसी पर एक से अधिक बयान गलत या फिर झूठ हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर की गई घोषणा पर विश्वास करना भी ठीक नहीं होगा। आखिर देश असमंजस की इस स्थिति में कैसे पहुंचा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

असम में एनआरसी तो एक पुरानी ऐतिहासिक विरासत है जिसे उच्चतम न्यायलय ने एक नया जीवनदान देना उचित समझा। जैसे-जैसे असम में एनआरसी का काम चलता गया उसके नए-नए पहलू सामने आने लगे। इस सिलसिले में सत्तारूढ़ दल को महसूस हुआ कि इस प्रक्रिया को उसके 1996 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पीछे यह इरादा था कि जो लोग देश में गैरकानूनी या अवैध तरीकों से आए हुए हैं और जिन्हें सामान्यतः घुसपैठिया भी कहा जाता है उन्हें खोजकर निकालना और देश से बाहर भेजना। इस प्रक्रिया को 1996 के घोषणा पत्र में डिटेक्शन, डिलीशन और डिपोर्टेशन कहा गया था। अवैध रूप से आए लोगों को खोजने के लिए तो एनआरसी एक बना-बनाया तरीका था। इसके बाद गैर-कानूनी तरीकों से देश में आए लोगों के नाम को एनआरसी से हटाने या सम्मिलित न करने और अवैध घोषित करने के लिए एक कानूनी तरीके की जरूरत समझी गई। यह तरीका बना नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके। संशोधन में लिखे जाने वाले शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण थे। फैसला यह हुआ कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में आए हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, अगर वे भारत में कम से कम पांच साल से रह रहे हों।

कभी-कभी होता यह है कि जो कहा गया या लिखा गया वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना वह जो नहीं कहा या लिखा गया। नागरिकता कानून में संशोधन में भी ऐसा ही हुआ। जिन समुदायों के नाम इसमें लिखे गए उनसे अधिक महत्वपूर्ण वह समुदाय था जिसका नाम नहीं लिखा गया। वह समुदाय कौन सा है, यह बताने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के नाते यह समझना होगा कि वह समुदाय है मुस्लिम। इसका औचित्य बताया गया कि ये तीनों देश अधिकृत रूप से इस्लामी देश हैं। इसलिए इन देशों में मुसलमानों का धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता। यह औचित्य कहां तक ठीक है या नहीं, इसका फैसला जनता स्वयं करें, लेकिन यह याद रखने की बात है कि इस्लाम में भी कई उप-समुदाय हैं जिनमें से कुछ आपस में एक-दूसरे का बहुत विरोध करते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर एनआरसी है भी तो उसमें और नागरिकता संशोधन अधिनियम में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो कैसे और अगर नहीं है तो ये दोनों लागू कैसे किए जाएंगे, यह देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए असम के आंकड़ों को लेकर देखते हैं कि यह काम कैसे होगा।

असम में एनआरसी हुआ और लगभग 3.3 करोड़ लोगों के नाम उसमें आए और लगभग 19 लाख के नहीं आए। जिन 19 लाख के नाम नहीं आए उनमें से लगभग 13 लाख हिंदू, सिख, बौद्ध जैन, पारसी और इसाई हैं और शेष छह लाख मुसलमान। कानूनी प्रावधान के तहत ये सब 19 लाख लोग फॉरेन नेशनल ट्रिब्यूनल्स यानी विदेशियों के लिए गठित विशेष अदालतों में अपने नाम एनआरसी में शामिल कराने के लिए याचिकाएं दे सकते हैं। नागरिकता कानून यानी सीएए का असर या काम यहां से आरंभ होता है। इस संशोधन के कारण इन 19 लाख में से जो 13 लाख हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे उन्हें तो अवैध प्रवासी नहीं गिना जाएगा और इस कारण भारत में पांच साल रहने के बाद वे भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे, लेकिन जो छह लाख बाकी बचेंगे उन्हें अवैध प्रवासी गिना जाएगा और इसीलिए उन्हें ट्रिब्यूनल्स का सहारा लेना पड़ेगा। वहां जो होगा सो होगा। अब तक जो अनुभव असम में गठित इन ट्रिब्यूनल्स का हुआ है वह तो उत्साहजनक नहीं लगता। आगे क्या होगा, यह कहना कठिन है, लेकिन दो बातें तो स्पष्ट हैं। एक तो यह कि 1996 के घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए एनआरसी और सीएए, दोनों की आवश्यकता है और दूसरी, सीएए धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या संविधान में ऐसा परिवर्तन, इस तरीके से करना देश की जनता को स्वीकार है?

(लेखक आइआइएम अहमदाबाद के प्रोफेसर, डीन और डायरेक्टर इंचार्ज रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वाणी का महत्व

वाणी व्यक्तित्व का आभूषण है। वाणी से ही व्यक्ति के गुणों की पहचान होती है। गीता में तीन प्रकार के तपों की चर्चा है। इनमें शारीरिक तप, मानसिक तप तथा वाचिक तप शामिल हैं। वाचिक तप का आशय वाणी के प्रवाह से है। इसके संबंध में कहा गया है कि उद्वेग उत्पन्न न करने वाले वाक्य, हित कारक तथा सत्य पर आधारित वचन एवं स्वाध्याय वाचिक तप हैं। वास्तव में वाणी को संयम में रखने वाला व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है। इसके विपरीत अनियंत्रित वाणी वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता तो दूर अक्सर तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सदैव मीठा बोलता है उसके मित्रों और शुभचिंतकों का दायरा बढ़ता जाता है। मृदुभाषी होने की स्थिति में लोगों के सहयोग और समर्थन में वह अत्यधिक ऊर्जा का संग्रह कर लेता है, जबकि कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है।

वाणी में आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों प्रकार के ऐश्वर्य हैं। मधुरता से कही गई बात कल्याणकारक रहती है, किंतु वही कटु शब्दों में कही जाए तो अनर्थ का कारण बन सकती है। कटु वाक्यों का त्याग करने में अपना और औरों का भी भला है। वाणी की शालीनता और शीतलता मनुष्य के व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाती है। मधुर एवं कर्णप्रिय वाणी बिगड़े काम बना देती है। मीठी वाणी सफलता के द्वार खोल देती है और तमाम उलझनों को सुलझा देती है। इसके उलट कर्कश वाणी से समस्याएं और गहराने लगती हैं। बने-बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए हमें सदैव मधुरवाणी को आत्मसात करना चाहिए। किसी मूर्तिकार की तरह हमें अपनी वाणी को तराशते रहना चाहिए। बोलने से पहले हमें शब्दों को तोल लेना चाहिए। हर शब्द में मिठास और शालीनता का रंग भरकर मुख से दूसरों के बीच रखना चाहिए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई सुने तो वाह-वाह करे। संत कबीर ने कहा भी है कि 'ऐसी वाणी बोलिये,मन का आपा खोय। औरन को शीतल करें,आपहु शीतल होय।' इसे जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए।

नरपत दान चारण

राह से भटके बाल सुधार गृह

डॉ. अजय खेमरिया

भारत में एक ऐसी बाल संरक्षण योजना की आवश्यकता है जो हमारे स्थानीय सामाजिक परिवेश के अनुकूल हो

'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015' भारत में करीब 20 वर्ष पुराना है। मौजूदा एक्ट वर्ष 2000 और 2006 का विस्तार है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी प्रतिभा और अवसरों का संरक्षण उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने इसके लिए देशव्यापी एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आइसीपीएस) लागू की है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को बाल संरक्षण एवं देखभाल वर्ष घोषित किया है। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुभवों पर चर्चा स्वाभाविक है। वहीं भारत में नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार, यौन हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं ने हमारे समाज और राजव्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वर्ष 2012 में बना पॉक्सो एक्ट भी अपराधियों में भय का माहौल नहीं बना पाया। इस बीच चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग और घरेलू उत्पीड़न की लगातार सिर उठाती चुनौतियां भी कम खतरनाक नहीं हैं।

देश के 119 जिलों में एक भी सीसीआइ यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट नहीं है जबकि 539 सीसीआइ गंभीर अनियमितताओं और यौन शोषण की शिकायतों के चलते बंद किए जा चुके हैं। सवाल यह है कि जिन संस्थाओं में ये बच्चे रहते हैं, तकरीबन वे सभी जिला मुख्यालयों में हैं। बाकी दूरदराज के इलाकों के हालात की बस कल्पना ही की जा सकती है। इससे बड़ी चिंता यह है कि किसी भी राज्य में सही मायनों में सुरक्षा और संरक्षण के पात्र बच्चों के पहचान की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। बाल मजदूरी, कचरा बीनने वाले, ड्रग एडिक्ट श्रेणी के बालकों के पुनर्वास की व्यवस्था भी जेजे एक्ट करता है, लेकिन सवाल यह है कि इन संस्थानों में पहले से रह रहे बच्चों के बालिग होने के बाद उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने की हमारे पास क्या व्यवस्था है।

खासतौर से 18 साल की अवस्था पार कर चुकी बेटियों के लिए यह सवाल एक त्रासदी से कम नहीं है। 63 फीसद से अधिक बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कोई रोजगार नहीं मिला। 81 फीसद बालक 18 वर्ष बाद इन केंद्रों से बिना कोई कौशल या हुनर सीखे समाज में कैसे अपनी जगह बनाएंगे? हमें नीतिगत स्तर पर इसे समझना होगा कि जेजे एक्ट का दायरा सिर्फ 18 वर्ष तक सीमित नहीं है। भारत में अगर इन परित्यक्त, शोषित बच्चों को राष्ट्रीय उत्पादकता के साथ जोड़ना है तो हमें कालांतर में भी उनकी देखभाल की दिशा में ठोस काम करना होगा। इसके लिए श्रीलंका और बांग्लादेश के मॉडल को अपनाया जा सकता है जहां स्थानीय उद्योगों से ऐसे बालकों को जोड़ा गया है।

भारत की सामाजिकी के लिहाज से दत्तक ग्रहण बेहद कठिन विकल्प है, क्योंकि 90 फीसद से ज्यादा दंपती केवल छह वर्ष तक के अनाथ बच्चों को ही गोद लेना चाहते हैं, जबकि संरक्षण के जरूरतमंद सर्वाधिक बच्चे छह से 14 वर्ष के हैं। जाहिर है भारत में एक ऐसी बाल संरक्षण योजना की आवश्यकता है जो स्थानीय सामाजिक परिवेश के अनुकूल हो, क्योंकि बाल गृह किसी बुनियादी दिशा में लक्ष्यों के अनुरूप काम करने में फिलहाल नाकाम साबित हो रहे है।

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

मेलबाक्स

विरोध का कारण वोट बैंक की राजनीति

नागरिकता संशोधित कानून पर कांग्रेस की मानसिकता का विश्लेषण सुरेंद्र किशोर ने 'अपने ही वादे से मुकरती कांग्रेस' शीर्षक लेख तहत किया। हमारे देश की राजनीति अब स्वार्थ और अवसरवाद की राह चल पड़ी है, इसलिए इसके लिए तो यह कहा जा सकता है कि, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या...। मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन बिल कुछ इस तरह पेश करना चाहिए था कि इस पर किसी को अंगुली उठाने का मौका न मिलता, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में छात्र संगठन से असम समझौता किया था। उन्होंने भी इस समझौते के तहत 25 मार्च 1971 के बाद हमारे देश आने वाले शरणार्थियों या दूसरे लोगों को एनआरसी के जरिये देश से बाहर निकालने का फैसला लिया था, लेकिन अफसोस इस पर किसी सरकार ने काम नहीं किया था, मोदी सरकार ने भी शायद राजीव गांधी के अधूरे काम को पूरा करने के लिए नागरिकता कानून को हरी झंडी दे दी, इसलिए कांग्रेस को तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अनेक राजनीतिक पार्टियां क्यों इस बिल का विरोध कर रही, यह तो वो ही अच्छी तरह जानें, लेकिन मोदी सरकार को नागरिकता कानून बनाने की क्या जरूरत थी? क्या हमारा देश धर्मशाला है? इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों के प्रति ही क्यों हमदर्दी दिखाई गई, श्रीलंका और म्यांमार को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? मोदी सरकार को इस कानून की कमियों को दूर करने के उपाय अपनी हठधर्मिता को छोड़कर करने चाहिए, ताकि इससे देश के लिए कोई नुकसान न हो पाए। देश के हरेक धर्म के लोगों को देश की धर्म-संप्रदाय की संकीर्ण राजनीति से हमेशा बचकर रहना चाहिए, धर्म-संप्रदाय पर राजनीति करने वाला का मकसद लगभग अपना वोट बैंक ही होता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सही सूचनाएं बेहद जरूरी

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), जो 2021 की जनगणना का हिस्सा है, तैयार किया जाना प्रारंभ हो रहा है। इसमें प्रगणक लोगों से मुख्यतः आर्थिक सवाल पूछते हैं, जैसे घर में कुकिंग गैस, बिजली, फ्रिज, स्कूटर, कार, जैसी चीजें हैं या नहीं ? इनके उत्तर के आधार पर परिवारों और उस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का आकलन किया जाता है एवं खुशहाली लाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। सूचनाएं यदि सत्य नहीं हों तो आकलन गलत हो जाएगा और योजना गड़बड़। अतः सूचना सही देने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों को निभानी चाहिए। दुनिया के विकसित तथा कई विकासशील देशों में गलत जानकारी देने पर दंड का प्रावधान है। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां अक्सर गलत सूचनाएं दी जाती हैं। काफी संख्या में लोग खुद को निर्धन दिखाना चाहते हैं कि बाद में सरकारी मदद, यदि मिल रही हो तो उसे पाने वाली श्रेणी में आ सकें। इसलिए सरकार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में त्रुटिपूर्ण बात दर्ज करने पर सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि आर्थिक सर्वेक्षण एकदम त्रुटिहीन हो। आम जनता को भी चाहिए कि इसमें सही सूचनाएं ही दर्ज कराएं। सही सूचना देने का लाभ जहां सरकार की योजनाओं के लिए लाभकारी होगा, वहीं खुद के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सी जानकारी अन्य सर्टिफिकेट में भी दर्ज होती हैं। अगर हर जगह अलग-अलग जानकारी होगी तो भविष्य में कभी मिलान करने पर अंतर आएगा और कोई फाइल इसी आधार पर रुक सकती है कि नाम मेल नहीं खा रहा है। ऐसी समस्या खासकर नाम में अधिक आती है।

ajay.mittal97khandak@gmail.com

झारखंड में हार से सबक ले भाजपा

झारखंड में भाजपा की हार की मुख्य वजह झामुमो-कांग्रेस और राजद का एक मजबूत गठबंधन बनना है। झामुमो ने अपने लिए ग्रामीण और कांग्रेस को शहरी सीटें देकर अच्छा रणनीतिक प्रयोग किया। आजसू से भाजपा का गठबंधन टूटना भी ठीक नहीं रहा। हरियाणा व महाराष्ट्र की तरह यहां भी बागियों ने भाजपा को हरवाया। आखिर इतनी संख्या में बागी क्यों खड़े हुए? पार्टी में इतने व्यापक असंतोष के क्या कारण थे? भाजपा नेतृत्व को इन प्रश्नों के उत्तर तलाशने होंगे, अन्यथा आगामी चुनावों में भी पार्टी के लिए जीत हासिल करना मुश्किल होता जाएगा। साथ ही स्थानीय नेतृत्व को भी उचित रूप से तराशना होगा।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।